अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 243, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 22 अक्तूबर, 2013
No. 243, Port Blair, Tuesday, October 22, 2013

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 22 अक्तूबर, 2013

सं. 240/2013/फा.सं. 4–17/2009–लो.नि.वि.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21 फरवरी, 1985 के अधिसूचना सं. यू–14039/2/83– ए.एन.एल. और संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 19 जून, 2013 के पत्र सं. एफ.3/30(1)/2012–आर.आर. के साथ पठित संविधान की अनुच्छेद 309 में प्रयुक्त शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त विषय में सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अ.लो.नि.वि., अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार, सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–I और सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–II के पदों में भर्ती पद्वति विनियमन द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–**

   (i) यह नियम अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (अ.लो.नि.वि. स्थापना में सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार, सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–I और सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–II) भर्ती नियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि पर प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान :–**

   उस में संलग्न उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान का उल्लेख इन नियमों के साथ अनुलग्न अनुसूचियों के स्तंभ 2, 3 और 4 में होगा ।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ :–**

   भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य मामलों का उल्लेख उक्त अनुसूचियों के स्तंभ 5 से 13 में होगा ।

4. **अनर्हताएँ :–**

   कोई भी व्यक्ति,

   (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है ।

   ..... या .....

   (ख) जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी अन्य से विवाह किया हो, उक्त पद में नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा :

   बशर्ते कि, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, यदि संतुष्ट हो कि इस प्रकार के विवाह, इस प्रकार के व्यक्ति और विवाह के प्रति अन्य पक्ष पर लागू व्यैक्तिक कानून के तहत अनुज्ञेय है या इस प्रकार के विवाह के लिए कोई अन्य आधार है, इस नियमों के प्रचालन में ऐसा करने से छूट दे सकता है ।

5. छूट देने का अधिकार :–

जहाँ, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह यह मत रखते है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वे आदेश द्वारा, लिखित में कारण अभिलेख कर और यदि आवश्यक हुआ तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रायधान में छूट दे सकता है ।

6. अपवाद :–

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक रूप से प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा के छूट तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

ह./–
(अजय कुमार सिंह)
ले. जनरल (सेवा निवृत्त) उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के आदेश द्वारा तथा उनके नाम पर,

ह./–
सहायक सचिव (लो.नि.वि./श.वि.)
(फा.सं. 4–17/2009–लो.नि.वि.)

अनुसूची - I

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार के पद के लिए भर्ती नियमावली का संशोधन

1.	पदनाम	सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार
2.	पद संख्या	03 (तीन) *2013 *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वे.बै.–3, 15600रु.–39100रु. (ग्रेड वेतन 6600रु.)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	40 वर्षों से अधिक नहीं टीप. 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों तक की छूट । टीप. 2 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी । (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, लाहोल एवं स्फीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश की चम्बा जिला का पंगी उप–मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य: I) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता संस्थान (भारत) की भाग क एवं ख परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा आयोजित तथा वास्तुकला परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वास्तुविद संस्थान की (भाग क और ख) परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियोजन में स्नातक डिग्री । II) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा मान्यताप्राप्त शहरी नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन या नगर नियोजन या आवासीय या पर्यवरणीय नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष) या नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नगर योजनाकार परीक्षा उत्तीर्ण हो । III) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्य में कार्यरत सरकारी विभाग/संगठन में या किसी सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठन में या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में या किसी निजी संगठन में नगर एवं ग्राम नियोजन में 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव । टीप. 1 : उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग स्वविवेक से लिखित में कारण अभिलेख कर अर्हता में छूट दे सकता है, अन्यथा सुअर्हक होनी चाहिए ।

		टीप. 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में चयन की किसी अवस्था पर यदि संघ लोक सेवा आयोग यह मत रखता है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग स्वविवेक से लिखित में कारण अभिलेख कर अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दे सकता है ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता – हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	66.66% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर अल्पावधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा । 33.34% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि अनुबंध सहित, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा) ।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति इस ग्रेड में 6(छः) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन बैंड–2 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–I और इस ग्रेड में 7(सात) वर्षों की नियमित सेवा सहित वे. बैंड–2 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में सहायक नगर योजनाकार श्रेणी–II से तथा जी.पी.एस. एवं टोटल स्टेशन द्वारा नियंत्रण एवं विस्तृत सर्वेक्षण, भारत सर्वेक्षण या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मोबाइल मानचित्र प्रणाली का प्रयोग करते हुए मानचित्र अद्यतन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । टीप. 1 : पदोन्नति की योग्यता सूची, संबंधित श्रेणी/पद में अधिकारियों द्वारा विहित पात्रता सेवा के पूरा होने की तिथि के संदर्भ में तैयार होगा । टीप. 2 : जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके साथ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वरिष्ठों की अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ जो ऐसी योग्यता और पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टीप. 3 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य हेतु 01.01.2006 से पूर्व/छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि से अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर दी गई तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक संगठन में कार्यरत अधिकारी

		(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी है । या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. 4600 के वेतनमान या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में छः वर्षों की सेवा की हो, या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. रु. 4600 के वेतनमान या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में सात वर्षों की सेवा की हो, और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो । टीप. 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे मार्ग में है उनके मामले पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त योग्य नहीं होगा । टीप. 2 : केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व ग्रहण अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई.एस.टी.सी.) सामान्यता 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने के अन्तिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टीप. 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि) से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग कर सिफारिश के आधार पर निर्धारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी, केवल एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहाँ यह लाभ केवल उसी पद/पदों के लिए मिला है, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	**पदोन्नति हेतु वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :** 1. अध्यक्ष/सदस्य से.लो.से.आ. — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अ. तथा नि. प्रशासन — सदस्य 3. सचिव (श.वि.), अ. तथा नि. प्रशासन — सदस्य **वर्ग 'क' विभागीय स्थाईकरण समिति (सीधी भर्ती के स्थाईकरण के लिए) :** 1. मुख्य सचिव, अ. तथा नि. प्रशासन — अध्यक्ष 2. सचिव (श.वि.), अ. तथा नि. प्रशासन — सदस्य 3. नगर एवं ग्राम योजनाकार — सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य

अनुसूची - II

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नगर योजनाकार श्रेणी - I के पद के लिए भर्ती नियमावली का संशोधन

1.	पदनाम	सहायक नगर योजनाकार श्रेणी - I
2.	पद संख्या	01 (एक) *2013 *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वे.बै.–2, 9300 रु.– 34800 रु. (ग्रेड वेतन 4800 रु.)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	30 वर्षों से अधिक नहीं टीप. 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों तक की छूट । टीप. 2 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी । (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, लाहोल एवं स्फीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश की चम्बा जिला का पंगी उप–मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता संस्थान (भारत) की भाग क एवं ख परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा आयोजित तथा वास्तुकला परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वास्तुविद संस्थान की (भाग क और ख) परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियोजन में स्नातक डिग्री । (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा मान्यता प्राप्त शहरी नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन या नगर नियोजन या आवासीय या पर्यावरणीय नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष) या नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नगर योजनाकार परीक्षा उत्तीर्ण हो । टीप. 1 : उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग स्वविवेक से लिखित में कारण अभिलेख कर अर्हता में छूट दे सकता है, अन्यथा सुअर्हक होनी चाहिए । वांछनीय : (i) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों में लगे हुए सरकारी या निजी संगठनों से नगर एवं ग्राम नियोजन में 2 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव ।

		(ii) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों में लगे हुए सरकारी या निजी संगठनों से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) साफ्टवेयर के संभालने में एक वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	<u>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)</u> केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक संगठन में कार्यरत अधिकारी : (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी है । या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. रु. 4600 के वेतनमान या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में दो वर्षों की सेवा की हो, या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. रु. 4200 के वेतनमान या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में छः वर्षों की सेवा की हो, और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो । <u>टीप.</u> 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे मार्ग में है उनके मामले पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त योग्य नहीं होगा । <u>टीप.</u> 2 : केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व ग्रहण अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि अल्पावधि अनुबंध) सामान्यता 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने के अन्तिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । <u>टीप.</u> 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि) से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी, केवल एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहाँ यह लाभ केवल उसी पद/पदों के लिए मिला है, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	पदोन्नति हेतु वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :		
		1.	मुख्य सचिव, अ. तथा नि. प्रशासन	अध्यक्ष
		2.	सचिव (श.वि.), अ. तथा नि. प्रशासन	सदस्य
		3.	नगर एवं ग्राम योजनाकार	सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य		

अनुसूची - III

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नगर योजनाकार श्रेणी - II के पद के लिए भर्ती नियमावली का संशोधन

1.	पदनाम	सहायक नगर योजनाकार श्रेणी - II
2.	पद संख्या	06 (छ:) *2013 *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित (अलिपिक–वर्गीय)
4.	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वे.बै.–2, 9300 रु.– 34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600 रु.)
5.	चयन पद या गैर–चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	30 वर्षों से अधिक नहीं टीप. 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में 5 वर्षों तक की छूट । टीप. 2 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी । (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख मण्डल, लाहोल एवं स्फीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश की चम्बा जिला का पंगी उप–मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)
7.	सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता संस्थान (भारत) की भाग क एवं ख परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला में स्नातक डिग्री या भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा आयोजित तथा वास्तुकला परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वास्तुविद संस्थान की (भाग क और ख) परीक्षा उत्तीर्ण हो । या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियोजन में स्नातक डिग्री । (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा मान्यता प्राप्त शहरी नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन या नगर नियोजन या आवासीय या पर्यावरणीय नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2 वर्ष)

		या नगर योजनाकार संस्थान (भारत) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नगर योजनाकार परीक्षा उत्तीर्ण हो । टीप. 1 : उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग स्वविवेक से लिखित में कारण अभिलेख कर अर्हता में छूट दे सकता है, अन्यथा सुअर्हक होनी चाहिए । वांछनीय : (i) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों में लगे हुए सरकारी या निजी संगठनों से नगर एवं ग्राम नियोजन में 2 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव । (ii) नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों में लगे हुए सरकारी या निजी संगठनों से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) साफ्टवेयर के संभौलने में एक वर्ष का अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	आयु – नहीं शैक्षिक अर्हता – नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए 2(दो) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	50% पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर अल्पावधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, 50% सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पदोन्नति इस ग्रेड में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन बैंड–2 9300–34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में नियोजन सहायक से तथा जी.पी.एस. एवं टोटल स्टेशन द्वारा नियंत्रण एवं विस्तृत सर्वेक्षण, भारत सर्वेक्षण या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मोबाइल मानचित्र प्रणाली का प्रयोग करते हुए मानचित्र अद्यतन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । टीप. 1 : जहाँ कनिष्ठ जिन्होंने अपनी योग्यता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति हेतु उनके मामले में विचार किया जा रहा है, उनके साथ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाँएगा बशर्ते कि वरिष्ठों की अपेक्षित योग्यता/पात्रता सेवा ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने कनिष्ठ जो ऐसी योग्यता और पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टीप. 2 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य हेतु 01.01.2006 से पूर्व/ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि से अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर दी गई तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध सरकारी/ स्वायत्तशासी तथा सांविधिक संगठन में कार्यरत अधिकारी :

		(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी है । या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. रु. 4200 के वेतनमान पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में दो वर्षों की सेवा की हो, या मूल संवर्ग/विभाग में वे.बैं.–2, रु. 9300–34800 एवं ग्रे.वे. रु. 4200 के वेतनमान या समतुल्य पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद के ग्रेड में छः वर्षों की सेवा की हो, और (ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखता हो । टीप. 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे मार्ग में है उनके मामले पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्त योग्य नहीं होगा । टीप. 2 : केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व ग्रहण अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध) सामान्यता 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। (आई.एस.टी.सी.) द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन स्वीकार करने के अन्तिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टीप. 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना की तिथि) से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित तदनुरूप ग्रेड वेतन/वेतनमान में दी गई सेवा मानी जाएगी, केवल एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमान का समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहाँ यह लाभ केवल उसी पद/पदों के लिए मिला है, जिसके लिए यह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसका गठन क्या है ?	प्रदोन्नति स्थायीकरण हेतु वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति : 1. मुख्य सचिव, अ. तथा नि. प्रशासन — अध्यक्ष 2. सचिव (श.वि.), अ. तथा नि. प्रशासन — सदस्य 3. नगर एवं ग्राम योजनाकार — सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	अधिकारी की सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 22nd October, 2013

No. 240/2013/F.No.4-17/2009-PWD.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi Notification No.U-14039/2/83-ANL dated the 21st February, 1985, and the UPSC's letter No.F.3/30(1)/2012-RR dated 19th June, 2013 and also in supersession of all earlier Notifications on the subject matter, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following rules, regulating the method of Recruitment to the posts of **Associate Town & Country Planner, Assistant Town Planner Grade-I and Assistant Town Planner Grade-II** in the Public Works Department, Andaman and Nicobar Islands, namely :-

1. **Short title and Commencement :-**

(i) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration (Associate Town & Country Planner, Assistant Town Planner Grade-I and Assistant Town Planner Grade-II in the establishment of APWD) Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **No. of posts, its classification and the scale of pay :-**

The number of said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be specified against Serial Numbers 2, 3 & 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications :-**

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be specified against Serial Numbers 5 to 13 of the said Schedules.

4. **Disqualifications :-**

No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living.

(OR)

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands, may if, satisfied that such marriage is permissible under the personal law, applicable to such persons and the other party to the marriage or there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax :-**

Where the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands is of the opinion, that it is necessary or expedient, to do so, he may by order, for reasons to be recorded in writing and, if necessary in consultation with UPSC relax any of the provision of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :-**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Sd./-
(Ajay Kumar Singh)
Lt. General (Retd.) Lt. Governor,
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor (Administrator) A&N Islands,

Sd./-
(V. Unnikrishna Pillai)
Assistant Secretary (PWD)
(F.No.4-17/2009-PWD)

SCHEDULE – I

AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE TOWN & COUNTRY PLANNER IN THE DEPARTMENT OF TOWN &COUNTRY PLANNING, A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Associate Town & Country Planner**
2.	No. of post	03* (2013) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Pay Band & Grade Pay/Scale of Pay	PB-3 Rs.15600-39100 (GP Rs.6600)
5.	Whether selection or non-selection post ?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 40 years **NOTE 1** : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government. **NOTE 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**ESSENTIAL** :- I. Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University/ Institute or having passed Part A & B Examination of Institution of Engineers (India) in Civil Engineering. OR Bachelor's Degree in Architecture from a recognized University/ Institute or having passed AIIA (Part A & B) Examination conducted by Indian Institute of Architects and recognized by Council of Architecture. OR Bachelor's Degree in Planning from a recognized University / Institute. II. Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma (2 Years) in Urban Planning or Regional Planning or Town Planning or Housing or Environmental Planning recognized by Institute of Town Planners (India) from a recognized University / Institute ; OR Having passed AITP Exam conducted by the Institute of Town Planners (India). III. Five years professional experience in Town & Country Planning in a Government Department/Organization or in any Statutory or Autonomous Organization or in PSU or in any Private Organization engaged in Town & Country Planning works. **NOTE 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

		NOTE 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Age – No Educational Qualifications – Yes
9.	Period of probation, if any	1 year for Direct Recruits & Promotees
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	66.66% by promotion failing which by Deputation including Short-Term Contract; 33.34% by deputation (Including Short-Term Contract failing which by Direct Recruitment)
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**PROMOTION** Assistant Town Planner Grade-I in PB-2 Rs.9300– 34,800/- with Grade Pay of Rs.4800/- with 6 years of regular service in the Grade and Assistant Town Planner Grade-II in PB-2 Rs.9300– 34,800/- with Grade Pay of Rs.4600 with 7 years of regular service in the grade and have undergone training in Control & Detail Survey by GPS & Total Station, Map Updation using Mobile Mapping System from Survey of India or any recognized Institution. **NOTE 1:** The eligibility list of promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed eligibility service by the officers in the respective Grade/ Post. **NOTE 2** : Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **NOTE 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **DEPUTATION (ISTC)** Officers under the Central/State Govts. / UTs / Universities/ Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi-Govt. / Statutory or Autonomous Organizations. (A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR (II) With six years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/department; OR

		(III) With seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/ department; And (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Sl. No.7; **NOTE 1** : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **NOTE 2** : Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **NOTE 3** : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay / Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay in to one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the Normal replacement Grade without any up-gradation.
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**Group 'A' DPC for Promotion** : 1) Chairman / Member UPSC - Chairman 2) Chief Secretary, A & N Administration - Member 3) Secretary (UD), A & N Admn. - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation of Direct Recruits)** : 1. Chief Secretary, A & N Administration - Chairman 2. Secretary (PWD), A & N Admn. - Member 3. Town & Country Planner - Member
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with U.P.S.C. necessary for filling up of post

SCHEDULE – II

AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT TOWN PLANNER GRADE-I IN THE DEPARTMENT OF TOWN & COUNTRY PLANNING, A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Assistant Town Planner Grade - I**
2.	No. of post	1* (2013) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services, Group 'B' Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-2 Rs. 9300– 34,800 (GP Rs. 4800)
5.	Whether selection or non-selection post ?	N. A.
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years **NOTE 1** : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **NOTE 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	**ESSENTIAL** : (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute or having passed Part A & B Examination of Institution of Engineers (India) in Civil Engineering. OR Bachelor's Degree in Architecture from a recognized University / Institute or having passed AIIA (Part A&B) Examination conducted by Indian Institute of Architects and recognized by the Council of Architecture. OR Bachelor's Degree in Planning from a recognized University/ Institute; And (ii) Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma (2 years) in Urban Planning or Regional Planning or Town Planning or Housing or Environmental Planning recognized by Institute of Town Planners (India) from a recognized University/ Institute. OR Passed the AITP Exam conducted by the Institute of Town Planners (India) **NOTE** : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **DESIRABLE** : I. Two years of professional experience in Town & Country Planning from a Government or Private Organizations engaged in Town & Country Planning Works.

		II. One year experience in handling of Geographical Information System (GIS) Software from a Government or Private Organizations engaged in Town & Country Planning Works.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	N.A.
9.	Period of probation, if any	2 years for Direct Recruits
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	By Direct Recruitment failing which by Deputation (ISTC)
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	**DEPUTATION (ISTC)** Officers under the Central/State Govts./ UTs / Universities/ Recognized Research Institute / Public Sector Undertakings / Semi-Govt. / Statutory or Autonomous Organizations. (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; OR (ii) With two years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2-Rs. 9300– 34,800 with Grade Pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre / department; OR (iii) With Six years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 Rs.9300– 34,800 with Grade Pay of Rs.4200 or equivalent in the parent cadre / department; And (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under Sl. No. 7. **NOTE 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **NOTE 2:** Period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **NOTE 3:** For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay /Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay/ Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which the Grade Pay/ Pay Scale is the Normal Replacement Grade without any up-gradation.

12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**<u>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation)</u> :-** 1. Chief Secretary, A & N Administration - Chairman 2. Secretary (UD), A & N Administration - Member 3. Town & Country Planner - Member
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with U.P.S.C. necessary on each occasion.

SCHEDULE – III

AMENDMENT OF RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT TOWN PLANNER GRADE-II IN THE DEPARTMENT OF TOWN & COUNTRY PLANNING IN A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	**Assistant Town Planner Grade-II**
2.	No. of post	06* (2013) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Services, Group 'B' Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-2 Rs. 9300 – 34,800 (Grade Pay Rs. 4600)
5.	Whether selection or non-selection post ?	Selection
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 30 years <u>NOTE</u> 1 : Relaxable for Govt. Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. <u>NOTE</u> 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	<u>ESSENTIAL</u> : I. Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute or having passed Part A & B Examination of Institution of Engineers (India) in Civil Engineering. OR Bachelor's Degree in Architecture from a recognized University / Institute or having passed AIIA (Part A & B) Examination conducted by Indian Institute of Architects and recognized by the Council of Architecture. OR Bachelor's Degree in Planning from a recognized University/ Institute; And II. Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma (2 Years) in Urban Planning or Regional Planning or Town Planning or Housing or Environmental Planning recognized by Institute of Town Planners (India) from a recognized University/ Institute. OR Passed AITP Examination conducted by the Institute of Town Planners (India).

		NOTE : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **DESIRABLE :** i) One year professional experience in Town & Country Planning from a Government./Private Organization engaged in Town & Country Planning Works. ii) One year experience in handling of Geographical Information System (GIS) Software from a Government or Private Organization engaged in Town & Country Planning Works.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ?	Age – No Educational Qualifications - No
9.	Period of probation, if any	2 years for direct recruits
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and % of the vacancies to be filled by various methods	50% by Promotion failing which by deputation including short-term contract, 50% by Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	**PROMOTION :** i) Planning Assistants in PB-2 of Rs. 9300– 34,800 with Grade Pay of Rs. 4200 with 5 years of regular Service in the grade and have undergone training in Control & Detail Survey by GPS & Total Station, Map updation using Mobile Mapping System from Survey of India or any recognized Institution. **NOTE 1:** Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. **NOTE 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 01-01-2006 / the date from which the revised Pay Structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **DEPUTATION (ISTC) :** Officers under the Central / State Govts. / UTs / Universities / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi-Govt. / Statutory or Autonomous Organizations: A. i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; OR

		ii) With Five years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2, Rs.9300- 34,800 with Grade Pay of Rs.4200 in the parent cadre / department; And B. Possessing the educational qualifications prescribed for Direct Recruits under Sl. No.7 **NOTE 1 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **NOTE 2 :** Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization / Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **NOTE 3 :** For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006 / the date from which the revised Pay Structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay / Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised Scale of Pay into one grade with a common Grade Pay/ Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay / Pay Scale is the Normal Replacement Grade without any upgradation
12.	If a DPC exists, what is its composition ?	**Group 'B' DPC for Promotion/Confirmation :-** 1. Chief Secretary, A & N Administration - Chairman 2. Secretary (UD), A & N Administration - Member 3. Town & Country Planner - Member
13.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	Consultation with U.P.S.C. necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation (ISTC).

MGPPB—243/Gazette/2013— 115 Copies. (ES-HCL-X)